प्रेस विज्ञप्ति
23/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने सत्य नारायण झुनझुनवाला, आदर्श झुनझुनवाला, मेसर्स जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटरों और सहयोगियों के परिसरों पर धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और नई दिल्ली में 21 जून 2024 को 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए जिससे धनराशि के मार्ग और निकासी से संबंधित साक्ष्य और बड़ी संख्या में संपत्तियों के ब्योरे प्राप्त हुए।

ईडी ने जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध सीबीआई, लखनऊ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जेवीएल जिसकी इकाइयाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में है, विभिन्न खाद्य तेलों के विनिर्माण और व्यापार में शामिल थी। जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की और धनराशि को विदेशी संस्थाओं, अंतर्देशीय संस्थाओं और विभिन्न कागजी संस्थाओं में पथांतरित किया और जिसके कारण बैंकों को लगभग 1992 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

तलाशी के दौरान यह पता चला कि सत्य नारायण झुनझुनवाला ने कंपनी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की कार्यवाहियों से बचने के उद्देश्य से कंपनियों/संपत्तियों की हिस्सेदारियों को स्थानांतरित करने के लिए कई सार्वजनिक ट्रस्ट स्थापित किए हैं। साथ ही, यह भी पता चला है कि धनराशि के पथांतरण के लिए कई फर्जी कंपनियां भी बनाई गई थीं।

आगे की जांच जारी है।